अपील सूचना अधिकार संख्या 17/2018 सुभाष गोयल पुत्र श्री रामकुमार गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09 –05–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुभाष गोयल के अधिवक्ता उपस्थित है। विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी के अभिभाषक की बहस दिनांक 30.04.2018 को सुनी जा चुकी है एवंम पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के अभिभाषक का कथन था कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 12.01.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण, पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर को प्रस्तुत कर 6 बिन्दुओ पर सूचनाएँ चाही थी जो उसे जान–बूझकर लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि मे उपलब्ध नही करवाई गई है इसलिए लोक सूचना अधिकारी को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तहत दण्डित किया जावे और वाछित सूचनाए उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें अपीलार्थी के सुयोग्य अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवंम पत्रावली का अवलोकन तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवंम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर से सूचनाए प्राप्त करने के लिए जो प्रार्थना पत्र दिनांक 12.01.2018 का प्रस्तुत करना बताया है वह दिनांक 12.01.2018 का न होकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये डाक विवरण पत्र के अनुसार अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.02.2018 का है जो लोक सूचना अधिकारी एवंम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर को 15.02.2018 को प्राप्त होना पाया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र 12.02.2018 से निम्न सूचनाए चाही थीः–

1. पत्र क्रमांक ईआरओ/2011/2622 दिनांक 19.12.2011 के पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पत्र क्रमांक ईआरओ/गंगा/निर्वा./774 दिनांक 25.08.2010 के पत्र की प्रमाणित प्रति।
3. पत्र क्रमांक सू.अ./2010.2011/755 दिनांक 27.07.2010 के पत्र की प्रमाणित प्रति।
4. पत्र क्रमांक सम/1100–01 दिनांक 29.11.2010 के पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. अपील लोक सूचना अधिकार संख्या 64/2010 राधेश्याम गोयल/एस एम श्रीगंगानगर की प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. अपील सं0 64/2010 राधेश्याम गोयल एसडीएम श्रीगंगानगा में पारित निर्णय प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 3592 दिनांक 09.04.2018 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी को उनके द्वारा चाही गई सूचनाए पत्र संख्या 3508 दिनांक 21.03.2018 के द्वारा पंजीकृत डाक से उपलब्ध करवा दी गई है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	वांछित सूचना	प्रति उत्तर
1.	पत्र क्रमांक ईआरओ/2011/2622 दिनांक 19.12.2011 के पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।	वांछित पत्र की फाटोप्रति सलंग्न है
2.	पत्र क्रमांक ईआरओ/गंगा/निर्वा./774 दिनांक 23.08.2010 के पत्र की प्रमाणित प्रति।	वांछित पत्र की फाटोप्रति सलंग्न है
3.	पत्र क्रमांक सू.अ./2010.2011/755 दिनांक 27.07.2010 के पत्र की प्रमाणित प्रति।	वांछित पत्र की फाटोप्रति सलंग्न है
4.	पत्र क्रमांक सम/1100–01 दिनांक 29.11.2010 के पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।	वांछित पत्र की फाटोप्रति सलंग्न है
5.	अपील लोक सूचना अधिकार संख्या 64/2010 राधेश्याम गोयल बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर की प्रमाणित प्रतिलिपि।	निर्णय दिनांक का अंकन नही है। निर्णय दिनांक का अंकन कर जिला अभि–लेखागार से नियमानुसार प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करे।
6.	अपील सं0 64/2010 राधेश्याम गोयल बनाम एसडीएम श्रीगंगानगर में पारित निर्णय प्रमाणित प्रतिलिपि।	निर्णय दिनांक का अंकन नही है निर्णय दिनांक का अंकन कर जिला अभि–लेखागार से नियमानुसार प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करे।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा उक्तानुसार बिन्दु सं0 1 से 4 की सूचनाए अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है बिन्दु सं0 5 व 6 के सम्बन्ध में सम्बन्धित अपील के निर्णय का विवरण एवं अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण उपलब्ध नही करवाई गई है जो अपीलार्थी को जिला अभिलेखागार श्रीगंगानगर से नियमानुसार से प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नयी सूचना बना सकते है और न ही वे

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एंवम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर द्वारा दिया गया उत्तर पत्र सं0 3508 दिनांक 21.03.2018 सही है जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही हैं इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। चूंकि अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि उसे विभाग द्वारा भेजी गई कोई सूचना प्राप्त नही हुई है जबकि लोक सूचना अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (एसडीएम), श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचनाए भिजवाये जाने सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है इसलिये लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने प्रतिवेदन दिनांक 21.03.2018 से प्रेषित की गई सूचनाए पुनः रजिस्टर डाक से अपीलार्थी को भिजवाई जावे। आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को व सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर